M-440
अति
27/10/05
R-11295
14/10/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O - 450
KM - 30
Depth - 200
CPB - 220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
No. 452] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनर्विलोकन समिति के सदस्य की अर्हताओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों के लिए अर्हता नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, "सदस्य" अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

3. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को पुनर्विलोकन समिति, के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो,—

(क) ऐसा अधिकारी है या रहा हो जो भारत सरकार के सचिव पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ख) विधिक मामले/आपराधिक न्याय प्रशासन का एक वर्ष का अनुभव रखता है।

[फा. सं. I-17014/72/2004-आईएस-VII]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications of members of the Review Committee, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Qualifications for the members of the Review Committee Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, *"member"* means a member of the Review Committee constituted under Sub-section (1) of Section 37 of the Act.

3. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person as member of the Review Committee who is, or has been,—

(a) an officer not below the rank of Secretary to the Government of India; and

(b) has one year experience in legal affairs/ administration of criminal justice.

[F. No. I-17014/72/2004-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.

GIPMRND—111 GI-2004 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.